

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 194

औषधि मूल्य नियंत्रण

इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के मुताबिक एक विशेषज्ञ समिति औषधि मूल्य नियामक से यह अनुशंसा करने वाली है कि उसे बिना ब्रांड वाली जेनेरिक औषधियों को दायरे में लेते हुए एंटीबायोटिक औषधियों की कीमतों पर लगी सीमा को तार्किक बनाना चाहिए। फिलहाल ब्रांडेड एंटीबायोटिक औषधियां मसलन ऑगमेंटिन आदि पर स्टॉकिस्ट के लिए मार्जिन की सीमा 8 फीसदी और खुदरा कारोबारियों के लिए 16 फीसदी है। जबकि इस औषधि का थोक मूल्य नियामक तय करता है। यदि राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण राजी हो जाता है तो जेनेरिक एंटीबायोटिक के लिए भी समान नियमन जारी किए जाएंगे। अटकलें हैं कि सबसे अधिक प्रभाव अस्पतालों के मार्जिन पर पड़ेगा। परंतु

मार्जिन की सीमा 8 फीसदी और खुदरा कारोबारियों के लिए 16 फीसदी है। जबकि इस औषधि का थोक मूल्य नियामक तय करता है। यदि गाष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण राजी हो जाता है तो जेनेरिक एंटीबायोटिक के लिए भी समान नियमन जारी किए जाएंगे। अटकलें हैं कि सबसे अधिक प्रभाव अस्पतालों के मार्जिन पर पड़ेगा। परंतु

यह अवसर एटोबायोटिक औषधियों के मूल्य पर लगी सीमा की दिक्कत को सार्वजनिक करने वाला अवसर भी है। उपभोक्ता कल्याण का काम करने के बजाय वह उसे ही नुकसान पहुंचाने का काम करती है।

कीमतों पर किसी भी तरह की सीमा आरोपित करने का असर आपूर्ति पर पड़ता है। एंटीबायोटिक जैसी दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होना कई तरह से नुकसानदेह है। पहली बात, मूल्य नियंत्रण के अधीन खरीदी गई औषधि को कमी आम हो सकती है। यदि कीमतों में ज्यादा कटौती हुई तो दवाओं की राशनिंग हो सकती है। संसाधनों का स्थानांतरण अधिक मुनाफे वाली दवाओं के उत्पादन में हो सकता है जिनकी कीमत पर सीमा न लगी हो। कई कंपनियां चुनिंदा दवाओं को बनाना बंद कर

सकता है। अन्य कपनिया चिकित्सकों या अस्पतालों से मिलकर वे दवाएं लिखवाना शुरू कर सकती हैं जो तय कीमत की सीमा से परे हों। ब्रॉडेंड और गैर ब्रॉडेंड जेनेरिक औषधियों के साथ ऐसा हो भी रहा है। दूसरी प्रतिक्रिया समस्या को और विकराल बना सकती है। आपूर्ति संबंधी प्रतिक्रिया का असर गुणवत्ता पर पड़ सकता है। औषधि निर्माता कटौती करेंगे और पर्याप्त नियामकीय निगरानी के वे खराब गुणवत्ता वाली औषधियां बना सकते हैं। चिकित्सकों के गलत पर्चे पहले ही समस्या बने हुए थे और मूल्य सीमा ने हालत और खराब कर दी है। इंडियन बिजेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने टाइप 2 डाइबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा मेटफॉर्मिन पर मूल्य सीमा लागू करने के आपूर्ति एवं मांग पर

पड़ने वाले असर का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसका असर स्पष्ट है। इस दवा की कीमत की सीमा तय किए जाने के बाद विभिन्न कंपनियां आपस में मिलीभगत कर मेटफॉर्मन के बाजार पर कब्जा बरकरार रखने लगीं। अब तक ऐसा करने के लिए इनमें से किसी कंपनी के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया है। बिना क्रियान्वयन की क्षमता के नियमन लागू करना सही नहीं है और इससे बचा जाना चाहिए।

कुल मिलाकर शोध और अध्ययन से यही साबित हुआ है कि देश में औषधियां मूल्य नियंत्रण का असर नकारात्मक ही रहा है। वॉशिंगटन डीसी में वैश्विक विकास केंद्र की प्रोफेसर एम्पा डीन ने यह दिखाया है कि देश में मूल्य नियंत्रण का नतीजा ऐसी औषधियों की बिक्री में गिरावट के रूप में सामने आया है। यानी दवाएं कुछ मरोजों को पहुंच से दूर हो जाएंगी। प्रोफेसर डीन के मुताबिक यह विसंगति गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है।

दवाओं तक बेहतर पहुंच वाले अमीर उपभोक्ता दवाएं आसानी से खरीद सकते हैं। इससे गलत पर्चों की आशंका बढ़ती है। कुछ मरीज इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक औषधियों के साथ ऐसे पर्चे खतरनाक हो सकते हैं जिन्हें बिना जरूरत के दवा लिखी जा सकती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मामले में हमारी हालत दुनिया में सबसे बुरी है। खराब दवाओं के कारण हमारे यहां जन स्वास्थ्य संकट में हैं। अब देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ रहा है तो हमें दवाओं के मूल्य पर मनमाने नियंत्रण से बचना चाहिए।



सफलता के सफर में मील के नए पत्थर

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता से यह उम्मीद बंधी है कि देश जल आपूर्ति हासिल करने और प्लास्टिक कचरे से मुक्ति पाने में भी कामयाब होगा। बता रहे हैं परमेश्वरन अखर

अ हमदाबाद म सुप्रासद्ध साबरमता
नदी के तट पर करीब 20,000
ऐसे सरपंच और स्वच्छाग्रही

आर व भा इस व्यापक सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी प्रभाव वाली चुनौती से निपटने की दिशा में पहल कर रहे हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी तब भारत में स्वच्छता का कवरेज केवल 39 फीसदी था। महज पांच वर्ष में देश के ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं और करीब 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। देश के सभी राज्यों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व साथ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे निजी तौर पर एक चुनौती के रूप में लिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इससे देश के नौ करोड़ से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण में सहायता मिली। इस तरीके से देश ने अपने लोगों को अपनी जलवायी से बचाया।

मिसाल है कि कसे एक व्यापक कार्यक्रम का तेज गति से क्रियान्वयन किया जाए। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से इसकी अत्यंत आवश्यकता को महसूस किया गया और देश के विभिन्न राज्यों, जिलों और यहां तक कि गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई। राजनीतिक नेतृत्व एकदम निचले स्तर तक शामिल नज़र आया। इस कार्यक्रम ने शौचालयों से जुड़े पूर्वग्रह को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में इसे प्रमुखता से शामिल किया और छह लाख प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से पंचायतों की बैठक, जन सभाओं में और घर-घर जाकर लोगों में व्यवहार के स्तर पर बदलाव को प्रेरित किया गया। दोहरे पिट वाले स्वउपचारित शौचालयों को देश भर में बढ़ावा दिया गया। देश भर के लोगों ने शौचालय के शुष्क अवशिष्ट को खाली कर शौच से जुड़े कलंक को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में लोगों के व्यवहार में बदलाव पर जोर दिए जाने का एक अर्थ यह भी था कि इस कार्यक्रम में निरंतरता आए। गांवों के लोगों ने प्रेरणा लेकर अपने यहां शौचालय बनवाए और

का पश्चात्काश कर रह है। इस प्रयास का लक्ष्य है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना। जो भी प्लास्टिक एकत्रित होगा उसे सड़क निर्माण आदि में इस्तेमाल करके सुरक्षित ढंग से निपटाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले कुछ वर्ष के दौरान देश में एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। सरकार सन 2024 तक देश के सभी परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए न्यूनतम संभव स्तर पर एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना में सौंत की उपलब्धता से लेकर जलापूर्ति और उसके दोबारा उपयोग तक सारी बातें शामिल हैं।

जिस प्रकार देश स्वच्छता के मामले में नए मानक गढ़ने में तैयार रहा, वैसे ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और जलापूर्ति को भी जनांदोलन बनाने का लक्ष्य रहेगा। ऐसे आंदोलनों के पीछे 130 करोड़ लोगों की शक्ति है और इसमें दो राय नहीं कि इसे सफलता मिलेगी।

(लेखक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
संघीय देश विभाग)

व्यवस्था बनाना है जहा लाग लब समय तक जी सकें और निरोग रह सकें। दूसरा लक्ष्य ज्यादा महत्वाकांक्षी है। यह है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझना और जीवनकाल बढ़ाने के लिए इसके प्रभावों को पलटना।

दुनियाभर में अभी करीब 500,000 लोगों की उम्र 100 से अधिक है। यह संख्या भविष्य में हर दशक में दोगुनी होगी। 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक मनुष्य के जीवित रहने की कोई सीमा नहीं हो सकती है। इटली की जनसांख्यिकीविद् एलिजाबेटा बार्बी और फ्रांसेस्को लगोना तथा इटलियन नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ष 2009 से 2015 के बीच इटली के 105 साल या उससे अधिक उम्र के 3,836 लोगों का रिकॉर्ड खंगाला। हम जानते हैं कि सहज रूप से और सांख्यिकीय रूप से भी हर वयस्क का मरने का खतरा बढ़ जाता है। यानी 20 साल के जुटाए हैं। यह जीवनकाल बढ़ाने से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेगा। यंग का मानना है कि जीवनकाल को बढ़ाकर 200 साल किया जा सकता है और इसके लिए प्रौद्योगिकी को एक अब से अधिक लोगों तक मुहैया कराया जा सकता है। एक्सप्राइज के संस्थापक पीटर डाइमेंडिस ज्यादा व्यावहारिक हैं लेकिन इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, 'किसी व्यक्ति के जीवन में 20 से 30 साल जोड़ने का कारोबार धरती पर सबसे बड़ा होगा। जीनोम अनुक्रमण, कृत्रिम मेधा और कोशिकीय दवाओं से ऐसी सफलताएं हासिल होंगी जिससे 100 साल की उम्र 60 की बन जाएगी।' एक्सप्राइज ने हाल ही में जीवनकाल बढ़ाने के बारे में एक सम्मेलन कराया और इसके लिए भविष्य की रूपरेखा भी जारी की। इसमें 12 उन क्षेत्रों का जिक्र है जिनमें से एक साल तक उम्र बढ़ने वाली प्रक्रिया को रोककर बढ़ती उम्र को पूरी तरह रोकना। पहले स्तनधारियों पर इसका प्रयोग किया जाएगा और फिर इंसान पर। दूसरा लक्ष्य मानव शरीर को विस्तृत और सटीक मॉडल बनाना है जिस पर प्रयोग किए जा सकें। इससे शोध पर मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सकता है। जिसके संभावित फायदे हो सकते हैं लेकिन यह इस विषय के लिए खतरनाक हो सकता है। तो सब लक्ष्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तो रोकना है। इसके तहत एक व्यक्ति के मस्तिष्क को पूरे नियंत्रण के साथ या उसके बिना दूसरी व्यक्ति के शरीर या किसी गवाही के मानव पात्र में एक साल के लिए हस्तांतरित किया जाएगा जबकि चेतना को बरकरार रखा जाएगा। इससे इस बात का प्रदर्शन होता है कि चेतना को कुछ समय के बाद फिर से हासिल किया जा सकता है। इसे हासिल करने का मतलब है कि चेतना को कुछ समय के बाद फिर से हासिल किया जा सकता है।

कानाफसी

मनमोहन सिंह को विसंगता

आवधान रहें आंगन

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम रहे तो आईटी मद्रास में आयोजित सिंगापुर-भारत है काथॉन 2019 में सामने आया एक उपकरण संसद के काम आ सकता है। उपकरण यह पता लगाता है कि किसी कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी कितने गंभीर हैं। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें वे कैमरे बहुत पसंद आए जो यह पता लगाते हैं कि कार्यक्रम में शामिल हैं।

लोग ध्यान दे भी रह हैं या नह
उन्होंने कहा कि ये कैमरे सांसदे
के लिए अत्यंत उपयोगी साबित

A black and white photograph of Prime Minister Narendra Modi. He is shown from the chest up, wearing his signature wire-rimmed glasses and a dark, houndstooth-patterned blazer over a light-colored, vertically striped shirt. He has a slight smile and is looking directly at the camera. The background is plain white.



छोड़ना होगा प्लारिटक पर्यावरण हित से

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। 2 अक्टूबर से ही प्लास्टिक से बनने वाले छह उत्पाद प्लास्टिक थैली, स्ट्रॉ, कप, प्लेट, बोतल और शीट पर रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक भारत को इस तरह के प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से लगभग 100 लाख टन प्लास्टिक जब्त किया जाएगा।

A black and white photograph showing a group of young people standing in front of a wall covered in protest signs. The signs include messages like "Preserve the Environment Stop Using Plastic", "Go Green Plastic is Obscene!", and "Heal the planet". The individuals are dressed in various patterns, and the background features a mural of a landscape.

प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कोलकाता में जारी नियमानुसार अधिकारी

आदर्श और प्रेरणा के स्रोत शारद्वी जी

प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना भी लगाने वाली है। वर्तमान में भारत में 220 लाख टन सालाना प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए जुर्माना लगता है।

पूरा देश श्रद्धापूर्वक याद करता है।
अजय प्रताप तिवारी, गोंड

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in